प्रेस नोट **21/05/2025**

प्रतिबंधित गौमांस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.05.2025 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम रोपनपुर से अभियुक्तगण मो0 आरिफ उर्फ राजू पुत्र गोगा अली निवासी फतेहपुर मण्डाव थाना रामपुर, भुटेली साह पुत्र स्व0 रईश निवासी रोपनपुर थाना रामपुर, अतिउल्लाह उर्फ करिया पुत्र शरीयउल्लाह निवासी महमूदसराय थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से प्रतिबंधित गौमांस 30 किलोग्राम, 01 अदद चापड़ (लोहे), 02 अदद चाकू, 01 अदद ठीहा लकड़ी, 01 अदद तराजू, 02 अदद बाट एक-एक किलोग्राम तथा 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 54 AU 2541 व 1120 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद दो पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मो0 आरिफ उर्फ राजू पुत्र गोगा अली निवासी फतेहपुर मण्डाव थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. भुटेली साह पुत्र स्व0 रईश निवासी रोपनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. अतिउल्लाह उर्फ करिया पुत्र शरीयउल्लाह निवासी महमूदसराय थाना रामपुर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 51/25 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना रामपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. प्रतिबंधित गौमांस 30 किलोग्राम।
2. 01 अदद चापड़ (लोहे), 02 अदद चाकू, 01 अदद ठीहा लकड़ी, 01 अदद तराजू, 02 अदद बाट एक-एक किलोग्राम।
3. 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 54 AU 2541 व 1120 रुपये।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र नाथ उपाध्याय, थाना रामपुर, मऊ।
2. हे0का0 मो0 अशरफ, थाना रामपुर, मऊ।
3. हे0का0 अजय विलास, थाना रामपुर, मऊ।
4. का0 अमरजीत खटिक, थाना रामपुर, मऊ।

साईबर पुलिस टीम मऊ द्वारा कुल 724336 (सात लाख चौबीस हजार तीन सौ छत्तिस) रुपये कराया गया वापस–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में साईबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा वादी मुकदमा के साथ अज्ञाक व्यक्ति के द्वारा फर्जी ट्रेजरी आफिसर बनकर रिटायर्ड कर्मी से किये गये फ्राड मे मु0अ0सं0 42/2024 धारा 318(4),319(2) BNS व 66 C IT ACT साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम द्वारा आज दिनाक 21.05.2025 को वादी के खाते मे 271336 (दो लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छत्तिस) रुपये वापस कराया गया, इसी प्रकरण मे दिनांक 21.04.2025 को वादी के खाते मे 453000 (चार लाख तिरपन हजार) वापस कराया गया था इस प्रकार वादी के खाते से फ्राड हुये कुल 10 लाख रुपये मे से कुल 724336 (सात लाख चौबीस हजार तीन सौ छत्तिस) रुपये को वादी के खाते मे वापस कराया गया।

जागरुकता-

- किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करे।
- साइबर अपराधों से बचने के लिए, अपने पासवर्ड, पिन, पैटर्न, या बायोमेट्रिक जानकारी दूसरों को न दें.
- अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐप्लिकेशन केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही इंस्टॉल करें.
- फ़र्ज़ी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें.
- अपने मोबाइल और कंप्यूटर की सर्विसिंग, मरम्मत, या बिक्री के लिए देते समय सावधान रहें.
- अगर आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी या यौन अश्लील सामग्री जैसी कोई सामग्री मिलती है, तो इसकी रिपोर्ट करें.।

यदि आप किसी फ्राड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है।

साइबर क्राइम थाना टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र यादव
आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र
आरक्षी शशिकान्तमणि त्रिपाठी

थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दुष्कर्म इत्यादि के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2025 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रायपुर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 56/25 धारा 137(2),87,64 बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्रीनाथ राम निवासी सिकन्दरपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्रीनाथ राम निवासी सिकन्दरपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 बौडम यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
2. आरक्षी प्रमोद यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 21.05.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बापू इण्टर कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 138/25 धारा 137(2), 87, 351(2), 352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त हासमी पुत्र रेयाज अस्करी निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 शोयब अंसारी थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 रविन्द्र सरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ।

जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 22.05.2025 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी सहित भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ मऊ नगर क्षेत्र के संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों आजमगढ़ तिराहा से गाजीपुर तिराहा तक रूट मार्च/पैदल गस्त कर शांति/सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया गया एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ पूरे जनपद में क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में महत्वपूर्ण/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रूट मार्च एवं पैदल गस्त किया जा रहा है।